भाग-III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 मार्च, 2024

संख्या का०आ० 17/के०अ०16/1927/धा० 32/2024.— चूंकि, हरियाणा सरकार, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 15/के०अ०16/1927/धा० 29/2024, दिनांक 20 मार्च, 2024 द्वारा इससे संलग्न अनुसूची में उल्लिखित कतिपय वन तथा बंजर भूमियाँ, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 29 के अधीन संरक्षित वन के रूप में घोषित की गई हैं;

इसलिए, अब, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 32 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्वोक्त अधिसूचना के अधीन विनिर्दिष्ट सभी भूमियों पर लागू होने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. कोई भी व्यक्ति, ऐसे वन मण्डल, जिसमें ऐसी उक्त भूमि स्थित है, के तत्समय कार्यभारी वन मण्डल अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उक्त संरक्षित वन से किसी भी प्रयोजन के लिए, चाहे कुछ भी हो, किसी वृक्ष तथा इमारती लकड़ी को नहीं काटेगा, नहीं गिराएगा, नहीं चीरेगा, संपरिवर्तित नहीं करेगा, अथवा नहीं हटाएगा।

2. कोई भी व्यक्ति, ऐसी भूमि पर किन्हीं पशुओं को एकत्रित नहीं करेगा, चराने के लिए नहीं ले जाएगा, नहीं चराएगा अथवा रोके नहीं रखेगा। तथापि, सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारी पशुओं की सीमित संख्या को चराने की अनुमति दे सकता है।

3. कोई भी व्यक्ति, ऐसी भूमि पर घास, वृक्षों या इमारती लकड़ी को आग नहीं लगाएगा अथवा आग प्रज्जवलित नहीं करेगा।

4. कोई भी व्यक्ति, वन मण्डल अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि अनुज्ञ—पत्र प्राप्त किए बिना घास नहीं काटेगा तथा नहीं हटाएगा ।

5. कोई भी व्यक्ति, वन मण्डल अधिकारी से अनुज्ञा—पत्र प्राप्त किए बिना उक्त भूमि पर शिकार नहीं करेगा, गोली नहीं चलाएगा और न ही मछलियां पकड़ेगा।

6. वन अधिकारी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इमारती लकड़ी अथवा वन उपज विधिपूर्वक प्राप्त की गई है, किसी भी समय ऐसे वन में से निकाली जा रही किसी इमारती लकड़ी अथवा वन उपज का निरीक्षण कर सकता है।

आनंद मोहन शरण,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE DEPARTMENT

Notification

The 20th March, 2024

No. S.O. 17/C.A. 16/1927/S. 30/2024.— Whereas *vide* Haryana Government Environment, Forests and Wildlife Department, notification No. S.O. 15/C.A. 16/1927/S. 29/2024, dated the 20th March, 2024 certain forests and waste lands mentioned in the Schedule appended thereto have been declared to be protected forests under section 29 of the India Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 32 of the said Act, the Governor of Haryana hereby makes the following rules applicable to all lands specified under the aforesaid notification, namely:-

RULES

1 No person shall cut, fell, saw, convert or remove any tree and timber for any purpose, whatsoever, collect or remove any forest produce from the said protected forests without the prior permission in writing of the Divisional Forest Officer in charge at that time of the Forest Division in which such land is situated.

2 No person shall herd, pasture, graze or retain any cattle on such land. However, the concerned Divisional Forest Officer may permit grazing by a limited number of cattle.

3 No person shall set fire to grass, trees or timber or kindle a fire on such lands.

4 No person shall cut and remove grass without obtaining a permit from the Divisional Forest Officer or his authorized representative.

5 No person shall hunt, shoot or fish on the said land without obtaining a permit from the Divisional Forest Officer.

6 The Forest Officer may examine any timber or forest produce passing out of such forest at any time to ensure that the timber or the forest produce has been lawfully obtained.

ANAND MOHAN SHARAN,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Environment, Forests and Wildlife Department.

10982—L.R.—H.G.P. Pkl.